प्रेषक,

मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट) कक्ष सं0–4,
गोण्डा ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

विषय :– दिनांक–03.12.21 को जारी पत्र सं0–14325/IV-h-16/Admin A-IV- चल एवं अचल सम्पत्ति के विवरण प्रस्तुत किये जाने के, अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि आपके सम्मानित पत्र उपरोक्त एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी सर्कुलर लेटर नं0–63/IV-h-16AdmIn (A-4) dated 10.12.1998 एवं Circular letter No. 16/IV-h-16/Admin (A-4) dated 13.5.2004 के अनुपालन में प्रार्थी को वर्ष 2010–2012, वर्ष 2012–2014, वर्ष 2014–2016, वर्ष 2016–2018, एवं वर्ष 2018–2020 के चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित समयानुसार भेजा जाना था ।

मेाहदय, उपरोक्त सम्पत्ति के विवरण भेजे जाने में प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर विलम्ब कारित नहीं की गई वल्कि वर्ष 2012 से 2020 के मध्य बृद्ध माता पिता की सेवा तथा मेरी माता के पैर टूट जाने एवं मेरे पिता को हार्ट अटैक के कारण उनकी सेवा सुश्रुसा तथा देखभाल में व्यस्त रहने के कारण प्रार्थी समय से अपना सम्पति का विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका जिसके लिए प्रार्थी को अन्यन्त खेद है । प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त सर्कुलर के अनुपालन में तथा विहित समयावधि में अपने सम्पत्ति का विवरण भेजने के कृत संकल्प है । प्रार्थी बचन देता है कि उसके द्वारा भविष्य में इस गलती की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। प्रार्थी की यह प्रथम एवं अंतिम गलती समझकर क्षमा किया जाए। प्रार्थी आपका हृदय से आभारी रहेगा ।

सादर प्रेषित,

भवदीय

दि0–08.12.21

(मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)
कक्ष सं0–4, गोण्डा ।
आई0डी0नं0–यू0पी0–6212